

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

आप.प्र.क्र. : 80 / 2015
संस्थित दि: 29 / 01 / 15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

खेलसिंह पिता बारेलाल मरकाम, उम्र 23 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्रामदेवरी थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 29 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 11.01.2015 को समय 08:25 बजे ग्राम कनिया का सभा मंच थाना प्रभारी बिरसा जो विधिपूर्ण सशक्त है, और विशेष व्यवस्था करने के लिये निदिष्ट किया गया फिर भी आपके द्वारा लाउड स्पीकर वाहन पर बांधकर प्रचार-प्रसार किया और दिये गये निर्देशों की अवज्ञा की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र बिरसा में पदस्थ निरीक्षक अमृत तिग्गा दिनांक 11.01.2015 को हमराह स्टाप सहायक उपनिरीक्षक राजधर धुबे, प्रधान आरक्षक 650, 824, 630 आरक्षक 916 को लेकर ग्राम गस्त हेतु दमोह कि ओर रवाना हुआ था कि ग्राम दमोह में उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कनिया के सभा मंच के पास एक सफेद रंग की छोटी वाहन पर एक व्यक्ति अवैध रूप से पंचायत चुनाव प्रचार-प्रसार कर रहा है। मुखबिर सूचना से गवाह राखी सलुजा एवं विनोद, हरिद्वज को बताकर हमराह स्टाप के साथ लेकर तस्दीक हेतु रवाना हुआ तो ग्राम कनिया में सभा मंच के पास एक सफेद रंग की छोटी वाहन क्रमांक एम.पी.20—जी.ए.8210 पर प्रत्याशी परसराम के नाम से दो पत्ती चुनाव

चिन्ह का वैनर लगाकर उसमें लाउंड स्वीकार बांधकर वाहन खड़ा कर माईक से प्रचार-प्रसार कर रहा था। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम खेलसिंह होना बताया। जिससे रात्रि के समय पंचायत चुनाव के मतदान से 48 घण्टे पूर्व के पश्चात चुनाव प्रचार-प्रसार करने के संबंध में वैध दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा के संबंध में पूछा तो आरोपी ने कोई दस्तावेज न होना व्यक्त किया। बिना समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों के चुनाव के 48 घण्टे पूर्व प्रचार-प्रसार करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 05/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कि।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 11.01.2015 को समय 08:25 बजे ग्राम कनिया का सभा मंच थाना प्रभारी बिरसा जो विधिपूर्ण सशक्त है, और विशेष व्यवस्था करने के लिये निदिष्ट किया गया फिर भी आपके द्वारा लाउंड स्पीकर वाहन पर बांधकर प्रचार-प्रसार किया और दिये गये निर्देशों की अवज्ञा की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(06) आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 200 /— (दो सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।
- (09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को **एक माह** के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- (10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.20—जी.ए.8210, तीन नग लाउड स्पीकर, एक नग जनरेटर, दो नग एम्पलीफायर, एक नग माईक सुपुर्दनामा पर है। सुपुर्दगी नामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट